

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 122] No. 122] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 8, 1999/फाल्गुन 17, 1920 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 8, 1999/PHALGUNA 17, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेश कर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1999

आयकर

सा. का. नि. 196(अ).— चूंकि आय और पूंजीगत अभिलाभों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और आर्थिक अपबंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और नामीबिया गणराज्य की सरकार के बीच निम्न अनुमूची में उल्लिखित उक्त अभिसमय, अनुच्छेद 29 के द्वारा यथा-अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में दोनों मंबिदाकारी राज्यों द्वारा एक-दूमरे को अधिमूचना जारी करने के उपरान्त, 22 जनवरी, 1999 को प्रवृत्त हो गया है;

इसलिए अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा यह निर्देश देती हैं कि अनुसूची में उल्लिखित अभिसमय के सभी उपबंध भारत के संघ में लागू किये जाएंगे।

अनुसूची

आय तथा पूंजी अनुलाभों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपर्वचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार

और

नामीबिया गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय भारत गणराज्य की सरकार और नामीबिया गणराज्य की सरकार

आय तथा पूंजी अनुलाभों पर करों के संबंध में द्रोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवचन को रोकने के लिए एक अभिसमय सम्पन्न करने की इन्छा से;

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद-1 वैयक्तिक क्षेत्र

यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

726 GI/99

अनुस्केव - 2

जीगसमय के अंतर्गत आने वाले कर

जिन करों पर यह अभिसमय लागू होगा वे इस प्रकार हैं :

१क १ भारत में :

आयकर १ जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है।

§जिसे इसके बाद 'भारतीय कर'' कहा जाएगा है :

स्व ४ नामीबिया में :

१ । ३ अाय कर;

§ i i 🖇 अनिवासी शेयरधारक का ; और

8 i i i 8 पेट्रोतियम आय कर ;

१ जिन्हें इसके बाद "नामीबियन कर" कहा अएरेगा। ।

2. यह अभिसमय किसी भी समस्य अधवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारील के पश्चात् पैराग्राफ । मैं उत्तिलिखतं करों के अतिरिक्त अधवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों और यदि इस अभिसमय के किसी अनुद्धिद को उसके सामान्य सिद्धांतों को प्रभावित किए बिना संशोधित करना अपेक्षित प्रतीत होता हो तो परस्पर सहमति से आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं ।

अनुस्केष - उ

सामान्य परिमापारे

- 1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - १क "भारत" पव से अभिप्रेत है भारत का राज्यक्षेत्र तथा उसमें इसके राज्यक्षेत्रीय समुद्र तथा उसके उत्पर के वायुमण्डलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र भी शामिल है जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय, 1992 सिहत भारतीय कानून तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार अन्य अधिकार तथा क्षेत्रायिकार हैं;
 - १ सामीबिया" पद से अभिप्रेत है नामीबिया गणराज्य और जब यह भौगोलिक अर्थ में प्रयुक्त होगा तंब "नामीबिया" पद में इसकी राज्य क्षेत्रीय जल सीमा और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तथा महाविषय जलगठन सीमा शामिल होगी जिन पर नामीबिया समुद्दी तल और उसकी उप-भूमि एवं उर्ध्ववर्ती जल के प्रकृतिक संसाधनों

- के अन्वेषण और दोहन के लिए अपने आंतरिक कामून और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार प्रमुसत्ता सम्पन्न अधिकार का प्रयोग कर सकता है ;
- १ग१ "एक संविदाकारी राज्य" और "तूसरे संविदाकारी राज्य" का अर्थ संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार नामीबिया अथवा भारत से हैं ;
- १४४ "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय अथवा कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में लागू कराधान कानूनों के अंतर्गत एक कराधेय इकाई के रूप में समझा जाता है;
- १ड-१ "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अध्या कोई सत्ता अभिग्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में समझा जाता है;
- हच है "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पर्वो से कमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वरा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वरा संचालित कोई उद्यम और्मोस्त है ;
- १७० "अन्तरराष्ट्रिय यातायात" पद से अभिप्रेत है किसी ऐसे जलयान अधवा वायुयान वारा कोई भी परिवहन जो किसी ऐसे उद्यम वारा संचालित हो जिसका एक संविदाकारी राज्य में प्रभावी प्रवन्ध स्थान हो, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अधवा वायुयान उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो ;
- §ज§ "राष्ट्रिक" पद से अभिग्रेत है :
 - १ं। के संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्याष्ट ;
 - हैं। ंह कोई कानूनी व्यष्टि, भागीवारी अथवा कोई अन्य संस्था जिसे अपनी यह हैसियत किसी संविधाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से उस रूप में प्रपत होती हो ;
- ∛झ है "सक्षम प्राधिकारी" पव से अभिप्रेत हैं :
 - १ i है नामीबिया के मामले में, वित्त मंत्रालय में स्थायी सिचय जो नामीबियन कर कानूनों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रशासक हो अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
 - शांश भारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय श्रास्त्र विभाग श्र अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;
- 8ां शकर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय कर अथवा नामीबियन कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें कोई ब्याज या ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भूल या चुक के संबंध में देय है जिनके लिए यह

ټ

<u>.</u>

Ľ

अभिसमय लागू होता है अधवा जो हम करों के संबंध में लगाए गए अर्धदण्ड को निरुपित करते हैं।

2. जहां तक किसी संविद्याकारी राज्य द्वारा अभिसमय को लागू करने का संबंध है, किसी शब्द को जो उसमें परिमाणित नहीं हुआ हो जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक वही अर्थ होगा जो उस समय उस राज्य में उन करों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है जिन पर यह अभिसमय लागू होता है।

अनुरछेव ~ 4

निवासी

- इस अभिसमय के प्रयोजनार्थ, " एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य में सामान्य रूप से निवासी अथवा अधिवासी हो और कोई कम्पनी अथवा अन्य व्यक्ति संस्था जिसका उस राज्य में प्रभावी प्रबंध अथवा निगमन का स्थान हो ।
- उन्हां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यिष्ट दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :
 - इक उसे उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो तो यह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध पनिष्ठतर हैं हमहत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है;
 - १स यदि उस संविद्याकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित केन्द्रित हैं, निश्चय नहीं किया जा सकता हो अधवा यदि उसको दोनों संविद्याकारी राज्यों में से किसी भी संविद्याकारी राज्य में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध नहीं हो तो वह उस संविद्याकारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह अदितन रहता हो ;
 - हैंगई यदि वह आदतन दें तें ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह पक राष्ट्रिक है;
 - हैंघ है यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अधवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्परिक सहमित वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।
 - उहां पैराग्राफ 1 के उपवंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति वोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है । संदेह की स्थित में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी पारस्परिक सहमित द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

अमुच्छेव - उ

स्थायी संस्थापन

- इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए "स्थायी संस्थापन" पद का आश्रय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है जहां उस उद्यम का कारोबार पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है ।
- 2 "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नितिषित शामिल होंगे :
 - ∦क । प्रबंध व्यवस्था का कोई स्थान ;

 - १ग१ कोई कार्यातय :
 - । ४ वर्षे कोई कारलाना ;
 - १ड-१ कोई कार्यशाला ;
 - हच है कोई खान, तेल अधवा गैस का कुऔं, खवान अधवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ;
 - कोई संस्थापन अथवा संरचना जिसका प्रयोग प्रकृतिक संसाधनों की कोज के लिए
 किया जाता है बशर्ते कि उक्त संस्थापन अथवा संरचना कम से कम छः महीने तक
 चलता रहता है ;
 - ∮ज
 ∮
 ज
 को
 ई
 माल
 गोवाम
 जिसमें
 को
 ई
 व्यक्ति
 व्सरों
 के
 लिए
 भंडारण
 सुविधाएं
 मु
 हैया
 करता
 हो
 ;
 और
 - § झ ∛ नामीबिया के मामले में, कोई अतिथि फार्म अधवा इसी प्रकार के अन्य कार्य ।
- उ॰ "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नितिषित शामिल होंगे :
 - १क१ कोई भवन स्थल, कोई निर्माण कार्य, प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यविक्षी क्रियाकलाप , किन्तु केवल वहां जहां ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा क्रियाकलाप बारह महीने से अधिक अवधि के लिए चलता रहता है; अथवा
 - इसरे सीवदाकारी राज्य में नियुक्त कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से
 फ सीवदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अनुदृष्टेद 14 में उिल्लिखित सेवाओं से
 मिन्न सेवाएं प्रवान करना, बक्रतें कि ऐसे कार्यकलाए उसी परियोजना अथवा संबद
 परियोजना के लिए किसी बारह महीने की अविध में छः महीने से अधिक अविध से
 चल रहे हों ।

- 4• इस अनुस्केद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी " स्थायी संस्थापन" पद में निम्निलिखत को शामिल नहीं समझा जाएगा :
 - १क । उस उद्यम से संबंधित माता अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा समय-समय पर डिलीवरी के प्रयोजनार्थ सुत्रिधाओं को इस्तेमाल करना ;
 - १सं मात्र भण्डारण, प्रदर्शन अथवा समय-समय पर डिलीवरी के प्रयोजनार्थ उक्त उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के किसी स्टॉक का रस-रसाय करना ;
 - १ग१ किसी अन्य उद्यम द्वरा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-यस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;
 - १घ∦ उक्त उद्यम के लिए माल अध्वा फ्य-वस्तुओं का केवल क्रम करने के लिए अध्वा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रग-रसाव करना;
 - ३ड उद्यम के लिए प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वस्य के किसी अन्य कार्यकलाय को चलाने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;
 - हैच केंबल उप-पैराग्राफ हक है से हड़ नक में उहिलासित किन्हीं कार्यकलाणें के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित रथान का रस-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान का समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्थरूप का हो ।
- 5. पैराग्राफ 1, 2 और 3 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 6 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य करता है तो उक्त उद्यम का उन कार्यकलापों के संबंध में, जिन्हें उक्त व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, प्रथमोहिलासित संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को आदतन :
 - इक उस उद्यम के नाम से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकार का प्रयोग करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिबिधियां पैराग्राफ-4 में उित्तिशित उन गतिविधियों तक सीमित न हो जिन्हें यवि वह कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है तो उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा ; अथवां
 - १स १ पेसा प्राधिकार प्राप्त न हो किन्तु वह फिर भी आदतन प्रथमोदिलिषत संविदाकारी राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-यस्तुओं का स्टॉक रसता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल अथवा पण्य की दिलीवरी करता हो ।

- 6. किसी उद्यम का दूसरे संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दताल, सामान्य कमीशन एजेन्ट अथवा स्वतंत्र हैिसयत वाले किसी अन्य एजेन्ट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि, जब किसी एजेन्ट के कार्यकलाए पूर्णतः अथवा प्रायः पूर्णतः उस उद्यम की और से किए जाते हों तो वह ऐसी स्थित में इस ऐसाग्राफ के अक्षेप्राय के अंतर्गत एक स्वतंत्र हैिसयत वाला एजेन्ट नहीं समझा जाएगा।
- 7. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में ∛चाहे किसी म्ह्यायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा कि कारोबार करती है तो मात्र इस तथ्य से ही उन दोनों कम्पनियों में से किसी भी कम्पनी को दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेष – 6 अचल सम्पत्ति से आय

- 1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पित्त है कृषि अधवा वानिकी से प्राप्त आय सिंहत है से प्राप्त आय पर भी दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है ।
- 2. "अचल सम्पित्त" पद का अर्थ वही होगा जो अर्थ उक्त संविद्याकारी राज्य के उस कानून के अंतर्गत है, जिसमें विचाराधीन सम्पित्त स्थित है। इस पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे अचल सम्पित्त के अवसाधन के रूप में सम्पित्त, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पित्त संबंधी सामान्य कानून के उपसंध लागू होते हों, अचल सम्पित्त को भोगने के अधिकार और किनज भण्डार, स्रोतों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन के लिए अधवा कार्य करने के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अधवा नियत अदायिगियों के अधिकार, जलयान, नौकाएं और वायुयान अचल सम्पित्त के रूप में नहीं माने जाएंगे।
- उक्क पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पित के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये प देने अधना इसके किसी अन्य प्रकार के उपयोग से उव्भूत होने वाली आय पर लागू होंगे ।
- 4- पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उगम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्थतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पदन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर भी लागू होंगे ।
- 5. जहां किसी कम्पनी अथवा विधिक व्यष्टि में शेयरों की मिलकियत अथवा अन्य अधिकारों से स्वामी को एक संविद्याकारी राज्य में स्थित और उस कम्पनी अथवा विधिक व्यष्टि द्वारा धारित अचल सम्पित का उपमोग करने का अधिकार प्राप्त होता है, तो स्वामी को प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराए पर देने अथवा उसके किसी अन्य प्रकार के उपमोग अधिकार में उपयोग से प्राप्त आय पर उस राज्य में कर लगाया जाएगा । अनुद्धेद 7 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी इस पैराग्राफ के उपबंध लागू होंगे ।

अनुच्छेव - 7

कारोबार से लाग

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लागों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब लक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उद्यम के लागों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके उतने लागों पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन के कारण हुए माने जाएंगे ।
- 2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविद्याकारी राज्य का कोई उद्यम, दूसरे संविद्याकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो तो ऐसी स्थित में वहां प्रत्येक संविद्याकारी राज्य में होने वाले लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा, जिनके होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक-समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलाफों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है।
- 3. किसी खायी संख्यापन के लागों के निर्धारण में उस ध्यय की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो खायी संख्यापन के प्रयोजनार्थ किया जाता है, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी और सामान्य प्रशासनिक ध्यय भी शामिल होंगे जो उस राज्य के कराधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार हों, और उनकी परिध के अन्दर आते हों, फिर चाहे वे उस राज्य में किए हों जहां खायी संख्यापन खित है अथवा अन्यत्र किए गए हों। तथापि, खायी संख्यापन बारा उद्यम के मुख्य कार्यालय अथवा उसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को पेटेंट या अन्य अधिकारों के प्रयोग के लिए प्रतिफल में रायल्टी, शुल्क या इसी प्रकार की अन्य अदायगी बारा, या निष्पदित सेवाओं का प्रबंधन के लिए कमीशन दारा या बेंकिंग उद्यम को छोड़कर खायी संख्यापन को उधार पर दी गई धनराशि पर ब्याज दारा आदा की गई राशियों, यदि कोई हों, हवास्तविक लर्चों के लिए की गई प्रतिपूर्तियों से धननाई के लिए किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी । इसी प्रकार, खायी संख्यापन के लामों के निर्धारण में, खायी संख्यापन दारा उद्यम के मुख्य कार्यालय अथवा उसके किन्हीं अन्य कार्यालयों से पेटेन्ट या अन्य अधिकारों के प्रतिफल से रायल्टी, शुल्क या इसी प्रकार की अन्य अवायगी दारा, या निष्पदित सेवाओं या प्रवन्ध के लिए कमीशन बारा या वेंकिंग उद्यम को छोड़ कर, उद्यम के मुख्य कार्यालय अथवा इसके किन्हीं कार्यालयों से धनराशि पर ब्याज के स्प में भारित राशि ह्यास्तविक खर्चों के लिए की गई प्रतिपूर्तियों से किन्न भी किसाब में नहीं लिया जाएगा ।

- 4. जहां तक किसी संविवाकारी राज्य में, उद्यम के कुल लामों को उसके विभिन्न अंगों के प्रति अनुभाजन के आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाले लामों को निश्चित करने की प्रया रही हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्यों की पेसी प्रचलित अनुभाजन पढ़ित से कर लगने वाले लामों को निश्चित करने से प्रतिकाधित नहीं करेगी, लेकिन अपनाई गई प्रभाजन पढ़ित ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुद्धेव में विहित सिदांतों के अनुसार होगा ।
- 5. कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन दारा उद्यम के लिए मात्र माल अथवा पण्य-वस्तुओं की सरीद की है ।
- 6 पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्ध स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पदित से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।
- 7· जहां आय की गर्दों में लागों की वे गर्दे शामिल हैं जिनका इस अभिसमय के अन्य अनुस्तेदों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुस्तेदों के उपबंध इस अमुस्तेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुद्रकेव - 8

जहाजरानी और वायु परिवहन

- 1- अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अधया वायुयानों के परिचालन और चार्टर से और आधानों और संबंधित उपस्करों के किराये से प्राप्त लामों जो कि अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन के लिए आनुषंगिक हैं, पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा जिसमें किसी उसम के प्रभावी प्रबंध का स्थान स्थित है।
- 2. यदि किसी नौ-परिवहन उद्यम के प्रभावी प्रबंध का स्थान जलयान अथवा नाव पर है तो उसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जहां उस जलयान अथवा नाव का बंदरगाह स्थित है या यदि ऐसा कोई बंदरगाह नहीं है तो उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जहां का उस जलयान अथवा नाव का संचालक निवासी है।
- उ. इस अनुन्हेद के प्रयोजनार्ध, अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से हुए लाम के रूप में माना जाएगा तथा अनुन्हेद-11 के उपवंध ऐसे ब्याज के मामलों में लागू नहीं होंगे ।
- 4. पैराग्राफ 1 के उपवंध किसी फून, किसी संयुक्त कारोबार अधवा किसी अंतरराष्ट्रीय परिचालन फर्नेसी में भाग होने से प्राप्त लाम पर भी लागू होंगे ।

अनुब्छेव - 9

संबद उधम

1. जहां

- १क । एक संविदाकारी राज्य का कोई उराम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उराम के प्रबंध,
 नियंत्रण अथवा पूंजी मैं प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: भाग लेता है; अथवा
- श्लि वही व्यक्ति, एक सींवदाकारी राज्य के किसी उराम के और दूसरे सींवदाकारी राज्य के किसी उराम के प्रवंध, नियंत्रण अध्वा पूंत्री में प्रत्यक्षतः अध्वा अप्रत्यक्षतः भाग तेते हैं; और दोनों में से किसी भी मामले में, दोनों उद्यमों के बीच उनेक वाणिष्यिक अध्वा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्ते रखी अध्वा लगाई जाती हैं, जो उन शर्तों से मिन्न हों, जो स्वतंत्र उरामों के बीच रखी जाती हैं, वहां ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के न होने की स्थिति में उन उद्यमों में से किसी एक उद्यम को प्राप्त होता किन्तु उन शर्तों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लामों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा ।
- 2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के उद्यम के लामों में उन लामों को शामित करता है और तद्नुसार उस पर कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार शामिल लाभ वह लाम है जो कि प्रथमोल्लिसित राज्य के उद्यम को प्राप्त होते यदि वोनों उद्यमों के बीच निर्धारित शर्ते वे शर्ते होतीं जो कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच निर्धारित की गई होतीं तो उस दूसरे राज्य को उन लामों में उसमें प्रमार्थ कर की राशि के लिए समुचित समायोजन करना होगा । ऐसे समायोजन का निर्धारण करने के लिए, इस अधिसमय के अन्य उपबंधों को भी ध्यान में रखना होगा और संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्रधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो एक-दूसरे से परामर्श करेंगे ।

अनुत्केव - 10

समांश

- एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी दारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे ।
- 2. तथापि, ऐसे लामांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लामांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है परन्तु यदि प्राप्तकर्ता लामांश का हित्मागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लामांशों की सकल र्राश के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

इस पैराग्राफ का उन लामों के संबंध में कम्पनी के कराधान पर प्रमाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लामांशों का भुगतान किया जाता है ।

- 3. इस अनुस्केद में यथा प्रयुक्त "लागंशों" शब्द का अभिप्राय सभी प्रकार के शेयरों या अन्य अधिकारों से प्रप्त आय से है जो लाभ की भागीदारिता के ऋण दावे नहीं हों और अन्य निगमित अधिकारों से प्रप्त आय से है, जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है, जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्रप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी निवासी है।
- 4. पेराग्राफ 1 और 2 के उपनंध उस रिश्नित में लाग् नहीं होंगे, यदि लामांशों का हितमागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में, वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से ज्यापार करता है जिसकी लामांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है अधवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं सम्पन्न करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लामांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थापी संस्थापन अधवा निश्चित स्थान से प्रमावी मप से संबंधित है। ऐसे मामले में, अनुत्केद 7 या अनुत्केद 15, जैसे भी स्थित हो, के उपनंध लाग् होंगे।

अनुस्रवेव 11

न्यान

- एक संविदाकारी सन्य में उत्पन्न होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- 2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी जहां वह उद्भूत होता है और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर ब्याज की संकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।
- उ॰ एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी यदि वह निम्निलिखित वारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप से उसके स्वामित्व में रखा जाता है :
 - शकश सरकार, दूसरे संविवाकारी राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रमाग अथवा स्थानीय प्रिषकरण;

 अथवा
 - १स दूसरे रांधिदाकारी राज्य का ऐसा कोई अभिकरण अथवा माध्यम जिसके बारे में दोनों गांधिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों में तिभित रूप से सहमति हो ।
- 4. इस अनुक्तेद में यथा-प्रयुक्त "ब्याज" पद से अभिप्रेत हैं प्रत्येक प्रकार के सण-संबंधी दाखों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक दारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं हो और चाहे उन्हें सणदाता के लामों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और विशेष रूप से सरकार प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा सणपत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा सण-पत्रों से संबंधित प्रिमियम और पुरस्कार सिमितित हों । देर से की जाने वाली अदायगी के लिए अर्थ-दण्ड संबंधी प्रधारों को इस अनुक्वेद के प्रयोजनार्थ ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

- 5. पैराग्राफ । और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितमागी स्थामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अवा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो । ऐसे मामले में अनुस्केद 7 अथवा अनुस्केद 15 के उपबंध, जैसी भी स्थित हो , लागू होंगे ।
- 6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्रिणिकरण अधवा उसका कोई निवासी हो । तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथया नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा एक नियत स्थान है जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था और ऐसा ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान द्वरा वहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में ही उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान स्थित है।
- 7. जहां ब्याज अदाकर्ता तथा हितमागी स्वामी के बीन अथवा उन दोनों और फिसी अन्य व्यक्ति के बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण ब्याज की रकम, उस सण दावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए ब्याज अदा किया गया है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिए, इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमित हो गई होती, वहां इस अनुस्केद के उपनंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में अदायगी के अतिरिक्त भाग पर अभिसमय के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुप्तन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 12

रायन्टियां

- एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायिल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- तथापि, इस प्रकार की रायिहटर्यों पर उस संविदाकारी राज्य में भी जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा परन्तु यदि प्राप्तकर्ता रायिहटर्यों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायिहटर्यों की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

- उ॰ इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायित्याँ" पद से साफ्टवेयर, सिनेमा-फिल्मों, किसी पेटेंट, ट्रेड मार्क, डिजाइन या मॉडल, प्लान, गुप्त फार्म्ला या प्रक्रिया सिंहत साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियों के किसी कापीराइट के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिन्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायिगियां और औद्योगिक, वाणिन्यिक या वैज्ञानिक उफर्ररण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु प्राप्त की गई अवायिगियां अभिप्रेत हैं।
- 4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायिस्ट्यों का हितमागी स्वामी, जो पक संविद्याकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविद्याकारी राज्य में जिसमें रायिस्ट्यां उद्भूत होती हैं वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयिक्तिक सेवाएं करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायिस्टियां अदा की जाती हैं, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में यथास्थित अनुस्केद 7 अथवा 15 के उपबंध लागू होंगे।
- 5. फ संविवाकारी राज्य में रायित्यां तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी जब रायित्यां अवा करने जाता स्थयं वह राज्य, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, उसका कोई स्थानीय प्रधिकरण या उस राज्य का कोई निवास हो । तथापि, जहां रायित्यां अवा करने वाले व्यक्ति का, चाहै वह किसी संविवाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविवाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायित्यां अवा करने की जिम्मेवारी निभाई गई हो और ऐसी रायित्यां उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान बारा वहन की जाती हों, तब ऐसी रायित्यां उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान क्षाया निश्चित स्थान स्थान हिर्म स्थापन स्थान है ।
- 6. जहां अवाकर्ता और गितमागी स्वामी के बीच अधवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायिल्ट्यों की रकम उस प्रयोग अधिकार अधवा सूचना को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए उसे अदा किया गया है, उस रकम से बढ़ जाती है जितनी रकम के बारे में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थित में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच सहमित हुई होती, वहां इस अनुस्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गई रकम के अतिरिक्त माग पर इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा

अनुच्छेव - 13

पूंगीगत अमिलाम

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविद्याकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से अथवा ऐसी किसी कम्पनी में शेयरों के अंतरण से, जिसकी परिसम्पत्तियों में ऐसी सम्पत्ति प्रधानतः शामिल है, एक संविद्याकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलामों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

- 2. ऐसी चल सम्पित के अंतरण से होने वाले अभिलामों पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारबार सम्पित का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पित के अंतरण से होने वाले अभिलामों पर जो सम्पित एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपतन्थ है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाम भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।
- अंतरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अधवा वायुयानों अधवा इस प्रकार के जलयानों अधवा वायुयानों के संचालन से संबंधित चल-सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें उक्त उग्रम के प्रभावी प्रबंधन का स्थान स्थित है ।
- 4. ऐसी किसी कम्पनी, जिसकी परिसम्पित्तियों में प्रधानतः एक संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पित्त शामिल हो, के शेयरों अथवा उस कम्पनी में शेयरों के होने पर इस प्रकार के अधिकारों, के अंतरण से प्रमत्त अभिलामों पर भी उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा । ऐसी किसी भागीदारी न्यास अथया सम्पदा, जिसकी सम्पित्त में प्रधानतः एक संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पित्त शामिल हो, में किसी हित के अंतरण से प्रमत्त अभिलामों पर भी उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शैयरों से मिन्न शेयरों अथवा पैसी किसी कम्पनी, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, में इसी प्रकार के अधिकारों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में बिकी, विनिमय अथवा-अन्य प्रकार से उनके निपटान के दारा प्राप्त किए गए अमिलामों पर भी उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- 6. उत्पर उल्लिखित सम्पत्ति से मिन्न किसी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलामों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगाया जाएगा, जिसका उक्त अंतरणकर्ता निवासी है।

अनुच्छेव -14

तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

- 1. फ्रम्म संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर जिसे दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त किया जाता है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।
- 2. तथापि, तकनीकी सेवाओं के प्लिए इस प्रकार की फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, परन्तु यदि प्राप्तकर्ता तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी फीस की सकल धनराशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

Ł

4

- 3. इस अनुस्केद में यथा प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" शब्दों में तकनीकी प्रबंधकीय अधवा परामर्शदात्री स्वरूप की किन्हीं सेवाओं के प्रतिफले में अदायिगयां करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी को की गई अदायिगयों से मिन्न किसी व्यक्ति को की गई किसी भी प्रकार की अदायिग अभिप्रेत हैं।
- 4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंध उस स्थित में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, उस दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वैयक्तिक सेवाएं निष्पदित करता है और तकनीकी सेवाओं के लिए उक्त फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा ऐसी सेवाओं से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
- 5. पक्ष संविदाकारी राज्य में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी जब अदा करने वाला स्वयं वह राज्य हो उसका कोई राजनीतिक उप-प्रमाग, कोई स्थानीय प्रियकरण अथवा कोई सांविधिक निकाय हो अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । तथािष, जहां तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले ज्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा नहीं, एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन हो, जिसके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की वेनदारी उत्पन्न हुई थी, तथा तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी फीस ऐसे स्थायी संस्थापन दारा वहन की जाती है तब तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है ।
- 6. जहां अदा करने धाले व्यक्ति और प्राप्तकर्ता के बीच अधवा उम दोनों और कुछ अन्य व्यक्तियों के बीच विशिष्ट संबंध होने कारण तकनीकी सेवाओं के लिए अदा की गई फीस की राशि किसी कारण से उस राशि से बढ़ जाती है जिसके बारे में ऐसे संबंध के नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले व्यक्ति और हितभागी स्वामी द्वारा सहमित की गई होती, वहां इस अनुस्केव के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रक्षम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में अदायगियों का अतिरिक्त भाग इस अभिसमय के दूसरे उपबंधों का उचित ध्यान रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानुनों के अनुसार कर लगाने योग्य रहेगा ।

अनुच्<mark>ष</mark>्रेव - 15

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

- किसी व्यिष्ट द्वरा, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वम्य वाले इसी प्रकार के अन्य कार्य-कलार्पे से प्राप्त आय, केवल उस राज्य में कराधेय होगी । ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जाएगा :
 - १क ३ र्याद उस व्योष्ट को अपने कार्यकलार्पों के निष्पादन के प्रयोजनार्ध दूसरे संविवाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है किन्तु केवल उतनी आय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भुत होती है ; अथवा

- १सि यिद दूसरे संविदाकारी राज्य में उस व्योष्ट के ठहरने की अविध अथवा अविधियां बारह महीनों की किसी अविध के भीतर कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक हों, तो उनके केवल उतने ही भाग पर कर लगाया जा सकेगा, जो उस राज्य में उसके वारा निष्पादित सेवाओं से प्राप्त होती है ।
- 2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में विशेषतया स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुविदों, दंत चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल हैं।

अनुच्छेव - 16

परावलम्बत वैयक्तिक सेवाएं

- 1. अनुत्केद 17, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक सींवदाकारी राज्य के किसी नियासी वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य परिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा वशर्ते कि नियोजन दूसरे सींवदाकारी राज्य में नहीं किया गया है । यदि उक्त नियोजन इस प्रकार से किया गया है तो जो परिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस दसूरे राज्य में कर लग सकेगा ।
- 2. पैराग्राफ 1 के उपलंधों के होते हुए भी एक सीववाकारी राज्य के किसी निवासी ग्रास वूसरे सीववाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :
 - हैकहें प्राप्तकर्ता बारह मास की किसी अथिय में कुल मिलाकर 183 दिनों से अनिधिक ऐसी अथिय अथिया अविधयों के लिए दूसरे राज्य में रहा है ; और
 - १ंस१ पारिश्रीमक ऐसे नियोजक क्वरा अथवा उसकी ओर से चुकाया गया है जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
 - श्रेग । पारिश्रीमक किसी ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के दारा वहन नहीं
 किया जाता है जो नियोजक का दूसरे राज्य मैं हो ।
- उ॰ इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपलंधों के होते हुए भी अन्तरराष्ट्रीय यातायात में संचालित पोत अथवा विमान पर किए गए नियोजन के संबंध में एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त परिश्रमिक पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकगा जिसमें उक्त उद्यंग के प्रभावी प्रबंधन का स्थान स्थित है ।

अनुच्छेव - 17

निवेशकों की फीस

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा ऐसी किसी कम्पनी, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई निदेशक की फीस अधवा इसी प्रकार की अन्य अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेव - 18

कलाकार और मिलाड़ी

- 1. अनुत्केव 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा कलाकार, जैसे कि कोई धियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अधवा किसी बिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलाणें से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।
- 2. जहां किसी कताकार अथवा किसी बिलाड़ी द्वारा अपनी इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं कलाकार या बिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, बहां उस आय पर अनुद्धेत 7, 15 और 16 के उपबंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें कलाकार अथवा बिलाड़ी के कार्यकलाए किए जाते हैं।
- 3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी किसी कलाकार अथवा खिलाड़ी बारा अपने वैयक्तिक कार्यकलाणों से प्राप्त की गई आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में तब कर से छूट दी जाएगी, जिसमें ये कार्यकलाप किए जाते हैं, यदि उक्त कार्यकलाप ऐसे किसी दौरे के कार्यक्रम के भीतर निष्पादित किए जाते हैं, जो दूसरे संविदाकारी राज्य बारा, उसके राजनीतिक उप-प्रमाग किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सार्वजिनक संस्था बारा पर्याप्तत: समर्थित हो ।

अनुच्छेद - 19

पेशन तथा वाधिकयां

- 1. अनुच्छेद 20 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए फिहले नियोजन के लिए पैशन और हसी फ्रकार का कोई अन्य परिश्रमिक अध्या ऐसी वार्षिकी, जो एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई हो और जिसे दूसरे ससंविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया हो, केवल फ्रथमोल्लिखित राज्य में ही करापेय होगी।
- 2. "वार्षिकी" पद से जीवनकाल में अधवा किसी विनिर्दिष्ट या अभिनिश्चित समयाविध के वौरान धन में या धनराशि के बराबर मूल्य में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल की अवायगी करने के वायित्य के अंतर्गत आविधक रूप में निश्चित समय पर अवायगी योग्य पक निश्चित राशि अभिप्रेत है ।

ж

अनुच्छेद - 20

सरकारी सेवा

- 1. १क १ एक संविवाकारी राज्य दारा अध्यक्ष उसके किसी राजनीतिक उप-प्रमाग अध्यक्ष किसी स्थानीय प्राधियकरण वारा उस राज्य अध्यक्ष उप-प्रमाग अध्यक्ष प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यक्ति को अदा किए गए किसी पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा ।
 - १ स श तथापि, ऐसा पारिश्रमिक दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तब ही कराधेय होगा यदि उक्त सेवाएं उस दूसरे राज्य में प्रदान की जाती हैं और व्यिष्ट उस राज्य का ऐसा कोई निवासी है, जो -
 - § i । उस राज्य का कोई राष्ट्रिक है ; अथवा
 - हां। है केथल सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ही उस राज्य का निवासी नहीं बना था ।
- 2 एक संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-प्रमाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस राज्य अथवा उप-प्रमाग अथवा प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यष्टि को अदा की गई अथवा उसके द्वारा सुनित निधियों में से अदा की गई किसी पेंशन पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा ।
- 3. अनुस्केद 16, 17 और 19 के उपबंध एक संविदाकारी राज्य अध्या उसके किसी राजनीतिक उप-प्रभाग अध्या किसी स्थानीय प्रधिकरण दारा चलाए गए किसी कारबार के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं से संबंधित परिश्रीमक अथवा पेंशन के बारे में लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 21

प्राच्यापक, अध्यापक पर्व विद्यार्थी

1. ऐसे किसी ज्योच्ट, जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तत्काल पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई निवासी है अधवा उसका निवासी था और जो वैज्ञानिक अनुसंधान अधवा किसी शैक्षिक संस्था में अध्यापन करने के प्रयोजनार्ध प्रधमोहिलांबत राज्य में मौजूद है, बारा शैक्षिक अधवा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त किए गए पारिश्रमिक पर प्रधमोहिलांबत राज्य में कर से छूट प्रवान की जाएगी । यह छूट ऐसी अवधि के लिए दी जाएगी, जो उस तारील से दो वर्षों से अधिक की नहीं होगी जिस तारील को उक्त अध्यापक अधवा अनुसंधानकर्ता ने वैज्ञानिक अनुसंधान अधवा अध्यापन का कार्य करने के प्रयोजनार्ध प्रधमोहिलांबत राज्य में पहली बार प्रवेश किया था । यह अनुसंधान अधवा अध्यापन से प्राप्त आय पर उस स्थित में लागू नहीं होगा यदि ऐसा अनुसंधान जनहित में नहीं किया जाता है बहिक मुख्य रूप से किसी व्यक्ति अधवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है ।

- 2- १क शिसे किसी विद्यार्थी अथवा किसी कारोबारी प्रशिक्ष, जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा न करने के तत्काल पूर्व दूसरे संविदाकारी राज्य का कोई निवासी है अथवा उसका निवासी था और जो अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के एक मात्र प्रयोजन के लिए ही प्रथमोल्लिखित राज्य में मौजूद है, दारा अपने गुजारे, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रगत की गई राशियों पर उस राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा बशर्ते कि ऐसी राशियां उस राज्य से बाहर के स्रोतों से उदम्त हुई हों ।
 - है सह किसी विद्यार्थी अथवा कारोबारी प्रशिक्षु द्वारा प्रथमोहिलांबत राज्य में नियोजन द्वारा पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त की गई राशियों पर प्रथमोहिलांबत राज्य में कर से छूट वी जाएगी । यह लाम केवल ऐसी समयावधि के लिए प्रदान किया जाएगा जो आरम्भ की गई शिक्षा अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित रूप से अथवा परम्परागत रूप से अपेक्षित हो, किन्तु किसी भी हालत में किसी भी व्यप्टि को इस उपवंध का लाम प्रथमोहिलांबत संविद्यकारी राज्य में उसके पहली बार आगमन की तारीस से लगातार तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए प्रदान नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेव - 22

अन्य आय

इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख न की गई और एक संविदाकारी राज्य के भीतर स्रोतों से प्राप्त की गई आय की मदों पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान का अपकरण

- 1 भारत में दोहरे कराधान का अधकरण निम्नानुसार किया जाएगा -
- जहां भारत का कोई निवासी नामीविया से ऐसी आय अथवा पूंजीगत अभिताभ प्राप्त करता है, जिस पर इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार नामिविया में कर लगाया जाएगा, तब भारत में उस निवासी की आय पर नामीविया में आय अथवा पूंजीगत अभिलाभों पर प्रत्यक्षातः अथवा कटोती वास अवा किए गए कर की धनसीश के बसबर्द्र से छूट वेने की अनुमित वी जाएगी।
- वामीविया में दोहरे कराधान का अभकरण निम्नानुसार किया जाएगा जहां नामीविया का कोई निवासी भारत से आय अथवा फुंजीगत अभिलाभ प्राप्त

करता है, वहां पर इस अभिसमय के उपकंषों के अनुसार भारत में उस आय अधना

अभिलक्षों पर प्रत्यक्षतः अथवा कटौती बारा देय कर की धनराशि को उस निवासी पर लगाए गए नामीबियन कर के एवज में केंडिट किया जाएगा । तथापि, केंडिट की यह धनराशि नामीबिया के कराधान कानूनों और निनियमों के अनुसार परिकरिपत की गई उस आय अध्यवा अभिलक्ष्मों पर नामीबियन कर की धनराशि से अधिक नहीं होगी ।

अनुच्छेव - 24 लामों का परिसीमन

- 1. यदि, इस अभिसमय के उपबंधों अनसार आय पर कर लगाने के लिए भारत का अधिकार परिसीमित होता है और नागीवियन कर कानूनों के अनुसार उस आय को विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में समझा जाता है और इसीलिए उस पर नामीवियन कर से छूट दी जाती है तो भारत दारा ऐसी आय पर उसी फ्रांसर से कर लगाया जा सकता है मानोंकि यह अभिसमय मौजूद ही नहीं था ।
- 2. यिव, इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार नामीबियन स्रोतों से प्राप्त आय अथवा ऐसी आय, जिसे नामीबियन स्रोतों से प्राप्त आय समझा गया है, पर कर लगाने के लिए नामीबिया का अधिकार परिसीमित होता है और यीव ऐसी आय पर भारतीय कर कानूनों के अनुसार भारत में कर नहीं लगाया जाता है तो नामीबिया वारा ऐसी आय पर उसी प्रकार का कर लगाया जा सकता है मानो कि यह अभिसमय मौजूद ही नहीं था।

अनुस्तेव - 25

सम -व्यवहार

- 1. फ संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे किसी कराधान अधवा तत्संबंधी किसी अधिवा को लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसे ही उपवंधों के अधीन लगाए जाने वाले कराधान प्यं तत्संबंधी अधिवाओं से अधिवाकृत अधिक भारपूर्ण हो । यह उपवंध अनुस्केद । के उपवंधों के होते हुए भी उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो दोनों संविद्यकारी राज्यों में से किसी एक अध्या दोनों के निवासी नहीं हैं ।
- 2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के समस्य कार्यकलामें को करने वाले उत्तमों पर लगाए जाने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकृल हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे एक संविदाकारी राज्य की दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोहिलासित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लामों पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो उस दर से अधिक हो जो प्रथमोहिलासित संविदाकारी राज्य की ऐसी ही कम्पनी के लामों पर लगायी जाती है और न ही इस अभिसमय के अनुष्ठिव-7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के विपरीत हों ।

- 5. जिन मागलों में अनुविद्य 9 के पैराग्राफ 1, अनुविद्य 11 के पैराग्राफ 7, अनुविद्य 12 के पैराग्राफ 6 अध्या अनुविद्य 14 के पैराग्राफ 6 के उपलंध लागू होते हैं, उन मागलों को छोड़कर एक संविद्याकारी राज्य के किसी उद्यम ब्रारा दूसरे संविद्याकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए व्यान, रायित्यमं, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अध्या अन्य संवित्रका, ऐसे उपम के कराधेय लागों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ ऐसी ही अतों के अधीन कटौती योग्य होंगे जैसे कि यदि प्रथमोहिलीसत राज्य के किसी निवासी को उनका भुगतान कर दिया गया होता ।
- 4. एक संविदाकारी राज्य के ऐसे उरामों पर, जिनकी पूंजी दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी एक अथवा उससे अधिक निर्धासियों के प्रत्यक्ष अधवा अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णतः अथवा अंगतः स्वामित्व में हो अथवा उनके दारा निर्यंत्रित हो, प्रथमोन्तिसित राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो ऐसे कराधान और तत्संबंधी अपेक्षाओं से अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो, जिन्हें प्रथमोन्तिसित राज्य के ऐसे ही अन्य उद्यमों पर लागू किया जाता है अथवा लागू किया जा सकता है।
- 5. इस अनुष्ठिद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह अन्य संविदाकारी राज्य के निवासियों को, नागरिक हैसियत अथवा परिवासिक दायित्वों के कारण से कराधान प्रयोजनों के लिए ऐसी व्यक्तिगत छूटें, राहतें अथवा घटौतियां प्रदान करे जो वह अपने निवासियों को प्रदान करती है।

अनुस्मेद-26

पारस्परिक करार विधि

- 1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अध्या दोनों संविद्याकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार का कर लगाया जाता है अध्वा लगाया जाएमा जो कि इस अभिसमय के उपलंधों के अनुक्ल नहीं है तो यह, उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपचारों की व्यवस्था होने के बायजूद भी, उस संविद्याकारी राज्य के सदाम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तृत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अध्वा यदि उसका मामला अनुक्छेद 25 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो यह उस संविद्याकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तृत कर सकता है जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तृत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान किया गया है जो अभिरामय के उपलंधों के अनुरूप नहीं है।
- 2 यदि सक्षम प्राधिकारी को आपित उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक इत पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो यह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से,

जो इस अधिसमय के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे संविदाकारी राज्य के समक्ष प्राधिकारी के साध परस्पर सहमित दारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी करार को कार्यान्थित किया जाएगा नाहे संविदाकारी राज्यों के आन्तरिक कानूनों में कोई भी समय-सीमा नियारित क्यों न हो ।

- इस अधिसमय की व्याख्या करने में अधवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयां अधवा शंकाएं उत्पन्न होने पर संविवाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें परस्परिक सहमाित से इल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए पराध्यर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनके बारे में इस अधिसमय में व्यवस्था नहीं की गई है ।
- 4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझीते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ सीधे पत्र-ज्यवहार कर सर्केंगे ।

अनुच्छेद-27

सुचना का आदान - प्रवान

1. संविद्याकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी दस्तावेजों सिंहत ऐसी सूचना का आदान
प्रवान करेंगे जह इस अधिसमय के उपवंधों को अथवा इस अधिसमय में आने वाले संविद्याकारी
राज्यों के उन करों से संविधात स्वदेशी कानूनों के उपवंधों को कार्यीन्यित करने के लिए
आवश्यक है, कहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था, लासकर ऐसे करों की धोलाधड़ी
अधवा अपवंचन की रोक्थाम करने के लिए, अधिसमय के प्रतिकृत नहीं हो । सूचना का
आवान-प्रदान अन्त्रकेद । द्वारा प्रतिविधित नहीं है । किसी भी सींयदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त
की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के स्वदेशी
कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है और उसे केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा
प्राधिकारियों शिजसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय भी शामिल हैं। को प्रकट किया जाएगा
जो इस अधिसमय के अंतर्गत आने वाले करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके
प्रवर्तन अथवा अधियोजन के संबंध में अथवा उनसे संबंधित अधिलों का निर्धारण करने से
संबद्ध हों । ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों वारा उक्त सूचना का उपयोग केवल ऐसे
प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा । ये सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों
में अथवा न्यायिक निर्धार्यों में प्रकट कर सकेंगे ।

- 2. किसी भी स्थिति में, पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ इस तरह नहीं लगाया जाएगा कि उससे किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नीलिसित बाध्यता लागू हो जाए :
- १क । ऐसे प्रशासनिक उपाय करना जो उस राज्य अधवा दूसरे सीवदाकारी राज्य के कानूनों अधवा प्रशासनिक प्रधाओं से भिन्न हो;
- हैल है ऐसी सूचना की आपूर्ति करना जो उस राज्य अधवा उस दूसरे सीववाकारी राज्य के कानूनों अधवा प्रशासन की सामान्य स्थितियों में प्राप्य न हो;
- हैग हैं ऐसी सूचना की आपूर्ति करना जिससे किसी व्यापार, कारोबार, औगोगिक, वाणिव्यिक अधंवा व्यावसायिक गोपनीयता अधवा व्यापार प्रक्रिया या सूचना का पता चले और जिसका प्रकटीकरण सार्वजनिक नीति के विपरीत हो ।

अनुच्छेष – 28 राजनियक अधिकर्ता और कींसुलीय अधिकारी

इस अभिसमय में निहित किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनियक अथवा स्थायी भिशनों के सवस्यों को प्रवान किए गए क्रिसी वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पद्देगा ।

अनुदक्षेद-29 प्रवर्त्तन

दोनों सींववाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य, इस अधिनामय की लागू करने के लिए अपनी विधि के अंतर्गतं अपेक्षित कार्यविधियों के पूरा किए जाने के बारे में राजनियक माध्यमों दारा दूसरे राज्य को अधिसूचित करेगा । यह अधिसमय इन अधिसूचनाओं में से बाद में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से लागू होगा और तत्पश्चात् यह निम्निलिसित के संबंध में प्रभावी होगा :-

∛क∛ भारत में ः

हां अप्रेत पर रोके गए करों के बारे में, जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है, उससे आगे के कैलेण्डर वर्ष के और मास के प्रथम दिन को अध्या उसके पश्चात अदा की गई अध्या केंडिट की गई धनराशियों के संबंध में: और

3

Ç,

な.

Ť

हैं। ंह अन्य करों के बारे में, जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अधिसमय लागू होता है, उसरो आगे के कैलेण्डर वर्ष के औप्रल गारा के प्रथम दिन को अध्या उसके पश्चात शुरु होने वाले किसी विस्तीय वर्ष के संबंध में;

- हैं। इससे आन्य करों के बारे में, जिस कैलेण्डर वर्ष में यह अभिसमय लागू होता है, उससे आगे के कैलेण्डर वर्ष के मार्च मास के, प्रथम दिन को अगवा उसके पश्चात आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष के संबंध में।

 अनुस्केद-30

समापन

यह अभिसमय तब तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक कि सीयदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य दास उसे समाप्त नहीं कर दिया जाता है । दोनों में से किसी एक सीवदाकारी राज्य दास इस अभिसमय के प्रवृत्त होने की तारीक से पांच वर्षों की समाप्त के पश्चात शुरू होने वाले किसी भी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम हः माह पूर्व समापन संबंधी मीटिस देकर, राजनियक माध्यमों से इस अभिसमय की समाप्त किया जा सकेगा । ऐसी स्थिति में यह अभिसमय निम्निलिक्ति के संबंध में निष्णमायी हो जाएगा :

- हां है स्रोत पर रोके गए करों के बारे में, जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है, उसके बाद वाले कैलेण्डर वर्ष के और मास के प्रधम दिन को अध्या उसके पश्चात अदा की गई अध्या केंद्रिट की गई धनराशि के संबंध में; और
- §ii । अन्य करों के बारे में, जिस कैलेण्डर वर्ष में नीटिस दिया जाता है, उसके बाद वाले कैलेण्डर वर्ष के औरत मास के प्रथम दिन को अधवा उसके पश्चात शुरू होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में;

१स १ नामीनिया में :

8 ं 8 स्रोत पर रोके गए करों के बारे में, जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है, उसके बाद खाले कैलेण्डर वर्ष के गार्च मास के प्रथम दिन

को अधवा उसके पश्चात अदा की गई अधवा केडिट की गई धनराशि के संबंध में; और

§ii । अन्य करों के बारे में, जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है, उसके बाद वाले कैलेण्डर वर्ष के मार्च मास के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात शुरू होने वाले किसी कर निर्धारण वर्ष के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृतं अपोहस्ताक्षरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिस्ती में वर्ष एक हजार नी सी सत्सानने के फरवरी माह के पन्द्रहर्ने विज्ञ, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-वो प्रतियों में निष्णन्य किया गया राधा इसके दोनों ही पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरुष्ण में कोई भिन्नता होने की स्थित में अंग्रेजी पाठ को प्रामाणिक माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की और से नामीबिया गणराज्य की सरकार की ओर से

ह./-इन्द्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री ह./-हेल्मट अंगुला कृपि, जल एवं ग्रामीण विकास मंत्री

[अधिमुचना मं. 10814/99/फा. सं 503/4/92-एफटीडी] विजय माधुर, संयुक्त सचिष

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Foreign Tax Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 1999

INCOME-TAX

G.S.R. 196(E).— _Whereas the Convention stated in the Schedule below, between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Namibia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains has entered into force on 22nd January, 1999 on the notification by both the Contracting States to each other of the completion of the procedures as required by Article 29 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the Convention stated in the Schedule shall be given effect to in the Union of India.

SCHEDULE

CONVENTION

between

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

and

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NAMIBIA

for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Namibia desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Personal Scope

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes Covered

- 1. The taxes to which this Convention shall apply are:
 - (a) in Namibia:
 - (i) the income tax;
 - (ii) the non-resident shareholders' tax; and

(iii) the petroleum income tax;

(hereinafter referred to as "Namibian tax");

(b) in India:

the income tax (including any surcharge thereon)

(hereinafter referred to as "Indian tax").

2. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws, and if it seems desirable to amend any Article of this Convention without affecting the general principles thereof, the necessary amendments may be made by mutual consent.

Article 3

General Definitions

- 1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
 - (a) the term "Namibia" means the Republic of Namibia and when used in a geographical sense, includes the territorial sea as well as the exclusive economic zone and the continental shelf, over which Namibia exercises sovereign rights in accordance with its internal law and subject to international law, concerning the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed and its subsoil and the superjacent waters.
 - (b) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the UN Convention on the Law of the Sea, 1982.
 - (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Namibia or India, as the context requires;
 - (d) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
 - (c) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
 - (f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

- (g) the term "international traffic" means any transport by ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;
- (h) the term "national" means:
 - (i) any individual possessing the citizenship of a Contracting State;
 - (ii) any legal person, partnership and association deriving its status as such from the law in force in a Contracting State;
- (i) the term "competent authority" means:
 - (i) in the case of Namibia, the Permanent Secretary in the Ministry of Finance who is the Chief Executive Officer and Administrator of Namibian tax laws or his or her authorised representative;
 - (ii) in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or its authorised representative;
- (j) the term "tax" means Indian tax or Namibian tax, as the context requires, but shall not include any interest or any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes.
- 2. As regards the application of the Convention by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that State concerning the taxes to which this Convention applies.

Article 4

Resident

- 1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any individual who is ordinarily resident, or has his or her domicile in that State and any company or other body of persons which has its place of effective management or incorporation in that State.
- 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his or her status shall be determined as follows:
 - (a) he or she shall be deemed to be a resident of the State in which he or she has a permanent home available to him or her; if he or she has a permanent home available to him or her in both States, he or she shall be deemed to be a resident of the State with which his or her personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

- (b) if the State in which he or she has his or her centre of vital interests cannot be determined, or if he or she has not a permanent home available to him or her in either State, he or she shall be deemed to be a resident of the State in which he or she has a habitual abode;
- (c) if he or she has a habitual abode in both States or in neither of them, he or she shall be deemed to be a resident of the State of which he or she is a national;
- (d) if he or she is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
- 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated. In case of doubt the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

Article 5

Permanent Establishment

- 1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
- The term "permanent establishment" includes especially:
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office;
 - (d) a factory;
 - (e) a workshop;
 - (f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
 - (g) an installation or structure used for the exploration of natural resources, provided that the installation or structure continues for a period of not less than six months;
 - (h) a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for others; and
 - (i) in the case of Namibia, a guest farm or other operation of a similar nature.

- The term "permanent establishment" likewise encompasses:
 - (a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisory activities in connection therewith, but only where such site, project or activity continues for a period of more than six months; or
 - (b) the furnishing of services, excluding those referred to in Article 14, by an enterprise of a Contracting State through employees or other personnel engaged in the other Contracting State, provided that such activities continue for the same project or a connected project for a period or periods aggregating more than six months within any twelve month period.
- 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display or the occasional delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or occasional delivery;
 - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
 - (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;
 - (f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs (a) to (e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
- 5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1, 2 and 3, where a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such person
 - (a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed

place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

- (b) has no such authority but nevertheless maintains habitually in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise from which he or she regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.
- 6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he or she will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.
- 7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income from Immovable Property

- 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may also be taxed in that other State.
- 2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
- 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

5. Where the ownership of shares or other rights in a company or legal person entitles the owner to the enjoyment of immovable property situated in a Contracting State and held by that company or legal person, income derived by the owner from the direct use, letting or use in any other form of his or her right of enjoyment may be taxed in that State. The provisions of this paragraph shall apply notwithstanding the provisions of Articles 7 or 15.

Article 7

Business Profits

- 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
- 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
- In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be 3. allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

- 4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
- 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- 6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good reason to the contrary.
- 7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and Air Transport

- 1. Profits from the operation or charter of ships or aircraft in international traffic and the rental of containers and related equipment which is incidental to the operation of ships or aippreraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated..
- 2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship or boat, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship or boat is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship or boat is a resident.
- 3. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.
- 4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

. - ملن

Article 9

Associated Enterprises

1. Where:

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State and taxes accordingly a profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

Dividends

- 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 40 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

- 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares of all kinds or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Articles 7 or 15, as the case may be, shall apply.

Article 11

Interest

- 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
- 3. Interest arising in a Contracting State shall be exempt from fax in that State provided it is derived and beneficially owned by.
 - (a) the Government, a political subdivision or a local authority of the other Contracting State; or
 - (b) such agency or instrumentality of the Government of the other Contracting State as may be agreed in writing between the competent authorities of both Contracting States.
- 4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not earrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such

securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

- 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such ease the provisions of Articles 7 or 15, as the case may be, shall apply.
- 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he or she is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 7. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 12

Royalties

- 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
- 3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes used for radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, computer

programme, plan, secret formula or process, or for the use of or the right to use industrial, commercial or scientific equipment involving a transfer of know-how or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Articles 7 or 15, as the case may be, shall apply.
- 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he or she is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
- 6. Where by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

Article 13

Capital Gains

- 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State, or from the alienation of shares in a company the assets of which consist principally of such property, may also be taxed in that other State.
- 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the

allenation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may also be taxed in that other State.

- 3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
- 4. Gains from the alienation of shares or similar rights being shares in a company, the assets of which consist principally of immovable property situated in a Contracting State, may also be taxed in that State. Gains from the alienation of an interest in a partnership, trust or estate, the property of which consists principally of immovable property situated in a Contracting State, may also be taxed in that State.
- 5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the sale, exchange or other disposition, directly or indirectly, of shares other than those mentioned in paragraph 4, or similar rights in a company which is a resident of the other Contracting State may also be taxed in that other State.
- 6. Gains from the alienation of any property other than that referred to herein above, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

Fees For Technical Services

- 1. Fees for technical services arising in a Contracting State which are derived by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State; but if the recipient is the beneficial owner of the fees for the technical services, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of such fees.
- 3. The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, in consideration for any services of a technical, managerial or consultancy nature.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the fees for technical services, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State in which the fees for technical services arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services, and the fees for the technical services are effectively connected with such permanent establishment or such services. In such case, the provisions of Articles 7 or 15, as the case may be, shall apply.

- 5. Fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a statutory body thereof, or a resident of that State. Where, however, the person paying the fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the obligation to pay the fees for technical services was incurred, and such fees for technical services are borne by that permanent establishment, then such fees for technical services shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.
- 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the fees paid for technical services, exceeds for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State due regard being had to the other provisions of this Convention.

Independent Personal Services

- 1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State. Such income may also be taxed in the other Contracting State if:
 - (a) the individual has a fixed base regutarly available to him or her in that other State for the purpose of performing his or her activities, but only so much thereof as is auributable to that fixed base, or
 - (b) the individual is present in that other State for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days within any period of twelve months, but only so much thereof as is attributable to services performed in that State.
- 2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of medical practitioners, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Dependent Personal Services

- 1. Subject to the provisions of Articles 17, 19, 20 and 21, salaties, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:
 - (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any period of twelve-months; and
 - (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
 - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircrast operated in international trassic may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 17

Directors' Fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his or her capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 18

Artistes and Sports Persons

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16, income derived by a resident of a Contracting State as an artiste, such as a theatre, motion picture, radio or

television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his or her personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

- 2. Where income in respect of personal activities exercised by an artiste or a sportsperson in his or her capacity as such accrues not to the artiste or sportsperson but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 15 and 16, be taxed in the Contracting State in which the activities of the artiste or sportsperson are exercised.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 income derived by an artiste or sportsperson from his or her personal activities as such shall be exempt from tax in the Contracting State in which these activities are exercised if the activities are exercised within the framework of a visit which is substantially supported by the other Contracting State, a political subdivision, a local authority or a public institution thereof.

Article 19

Pensions and Annuities

- 1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions and other similar remuneration for past employment or any annuity arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State, shall be taxable only in the first mentioned State.
- 2. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 20

Government Service

- (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a
 political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of
 services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only
 in that State.
 - (b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or

- (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
- 2. Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
- 3. The provisions of Articles 16, 17, and 19 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Professors, Teachers and Students

- 1. Remuneration received for education or scientific research by an individual who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State for the purpose of scientific research or for teaching at an educational institution shall be exempt from tax in the first-mentioned State. This exemption shall be granted for a period that shall not exceed two years from the date on which the teacher or researcher first entered the first-mentioned State for the purposes of engaging in scientific research or for teaching. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.
- 2. (a) Payments which a student of a business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.
 - (b) Payments which a student or business apprentice receives as remuneration from employment in the first-mentioned State shall be exempted from tax in the first-mentioned State. This benefit shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefit of this provision for more than three consecutive years from the date of his or her first arrival in the first-mentioned Contracting State.

Other Income

Items of income not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and derived from sources within a Contracting State shall be taxable only in that State.

Article 23

Elimination of Double Taxation

1. In Namibia, double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of Namibia derives income or capital gains from India the amount of tax on that income or gains payable, whether directly or by deduction, in India in accordance with the provisions of this Convention, may be credited against the Namibian tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed the amount of the Namibian tax on that income or gains computed in accordance with the taxation laws and regulations of Namibia.

In India, double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of India derives income or capital gains from Namibia, which, in accordance with the provisions of this Convention may be taxed in Namibia, then India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax on income or capital gains paid in Namibia, whether directly or by deduction.

Article 24

Limitation of Benefits

- 1. If, in accordance with the provisions of this Convention, the right of India to tax income is limited and according to the Namibian tax laws the income is regarded as income from foreign sources and therefore exempted from Namibian tax, India may tax such income as if this Convention did not exist.
- 2. If, in accordance with the provisions of this Convention, the right of Namibia to tax income from Namibian sources or deemed to be from Namibian sources is limited and if such income is in accordance with the Indian tax laws not taxed in India, Namibia may tax such income as if this Convention did not exist.

Non-discrimination

- 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
- 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7 of this Convention.
- 3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, paragraph 6 of Article 12, or paragraph 6 of Article 14 apply, interest, royalties, fees for technical services and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
- 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.
- 5. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

Mutual Agreement Procedure

- 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him or her in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he or she may, irrespective of the remedies provided by the domestic laws of those States, present his or her case to the competent authority of the Contracting State of which he or she is a resident or, if his or her case comes under paragraph 1 of Article 25, to that of the Contracting State of which he or she is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
- 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting States.
- 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.
- 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 27

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information, including documents, as are necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention, in particular for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities

shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

- 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 28

Diplomatic Agents and Consular Officers

Nothing in this Convention shall affect any fiscal provided to members of diplomatic or permanent missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

Entry into Force

Each of the Contracting States shall notify to the other through diplomatic channels—the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Convention. This Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect:

- (a) in Namibia;
 - (i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of March in the calendar year next following that in which the Convention enters into force; and
 - (ii) in respect of other taxes, for any year of assessment beginning on or after the first day of March in the calendar year next following that in which the Convention enters into force;
- (b) in India:

- (i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of April in the calendar year next following that in which the Convention enters into force; and
- (ii) in respect of other taxes, for any fiscal year beginning on or after the first day of April in the calendar year next following that in which the Convention enters into force.

Termination

1. This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiry of five years from the date of entry into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have effect:

(a) in Namibia:

- (i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of March in the calendar year next following that in which the notice is given; and
- (ii) in respect of other taxes, for any year of assessment beginning on or after the first day of March in the calendar year next following that in which the notice is given;

(b) in India:

- (i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of April in the calendar year next following that in which the notice is given; and
- (ii) in respect of other taxes, for any fiscal year beginning on or after the first day of April in the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Convention.

DONE in duplicate at New Delhi, this 15th day of February 1997, in the English and Hindi languages, both the texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NAMIBIA

Sd/-

Sd/-

INDER KUMAR GUJRAL

HELMUT ANGULA

MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS

MINISTER OF AGRICULTURE, WATER & RURAL DEVELOPMENT

[Notification No. 10814/99/F. No. 503/4/92-FTD] VIJAY MATHUR, Jt. Secy.